पंचम माला, खंड 9, अंक 20 गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1971/18 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 20 Thursday, December 9, 1971/Agrahayana 18, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हि
में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hinc
English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20, गुरुवार, 9 दिसम्बर 1971/18 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 20, Thursday, December 9, 1971/Agrahayana 18, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में	Re. Statements by Ministers	1
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	2
अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन	Report of Study Tour ..	2
याचिका समिति	Committee on Petitions	2
पहला प्रतिवेदन	First Report	2
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	2
तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Third Report and Minutes	2
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक—पुरःस्थापित	North-Eastern Areas (Reorganisation) Bill—Introduced	2—3
विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक—पुरःस्थापित	Appropriation (Railways) No. 3 Bill—Introduced	3—9
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	3
श्री के० हनुमन्तैय्या	Shri K. Hanumanthaiya ..	3
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav	3—4
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	4
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	4
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	4
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	4
श्री शंकर तिवारी	Shri Shankar Tewari	4
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	4—5
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	5

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	5
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal	5—6
डा० कैलास	Dr. Kailas	6
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	6
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	6
डा० लक्ष्मी नारायण पांडे	Dr. Laxminarain Pandeya	7
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	7
श्री राम चन्द विकल	Shri Kam Chandra Vikal	7
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	9
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	9
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	8—9
मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषदें विधेयक	Manipur (Hill Areas) District Councils Bill	9—16 17—23
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	9
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	9—11
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	11—12
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	12
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	13
श्री ए० केवीचुसा	Shri A. Kevichusa	13—14
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	14—15
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	15
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	15—16
खंड 2 से 53 और 1	Clauses 2 to 53 and 1	18—23
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	23
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	23
मिट्टी के तेल की उपलब्धता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Availability of Kerosene Oil	16—17
श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi	16—17
एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक	Asian Refractories Limited (Acquisition of Undertaking) Bill	23—26
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	23—24

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam ..	23—25
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	25
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	25
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi ..	25—26
भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Latest Position with Regard to Pakistani Aggression on India	26—28
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	26—28

LOK SABHA
लोक-सभा

गुरुवार, 9 **दिसम्बर**, 1971/18 **अग्रहायण**, 1893 (**शक**)

Thursday, December 9, 1971/Agrahayana 18, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजकर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Two Minutes past Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में
RE : STATEMENTS BY MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : 1 बजकर 15 मिनट पर रक्षा मंत्री एक वक्तव्य देंगे। चीनी और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री भी एक वक्तव्य देंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पश्चिमी बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अधिनियम और प्रत्यर्पण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्योजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम, संख्या 7) के हिन्दी संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था। सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1247/71**]

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 35 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1381 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी। सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1248/71**]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्री एस० एम० सिद्धय्या (चामराजनगर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल—1 के सितम्बर, 1971 के महाराष्ट्र, गोआ और मैसूर के अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री के० बालतण्डायुतम (कोयम्बटूर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में तीसरा प्रतिवेदन ।

(2) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1970-71 तथा 1971-72) की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक

NORTH EASTERN AREAS (REORGANISATION) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने और आसाम के विद्यमान राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मीजोरम को तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्यक्षेत्र बनाने का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने और आसाम के विद्यमान राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मीजोरम को तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्यक्षेत्र बनाने का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० हनुमन्तैया : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri R. P. Yadav (Madhepura) : In north Bihar, trains generally run late. That causes great difficulties to the public. There is only one train—Assam Mail— between the capital city of Delhi and North Bihar. This should not be changed.

Nothing has been done towards the conversion of Barauni-Katihar light Railway.

Sufficient number of wagons should be manufactured so as to meet the demand of the country.

At least one express train should be introduced to connect Barauni-Katihar via Saharsa and Purnia. It is a backward and border area.

The Kosi Belt fast passenger train should be extended upto Barauni so that the people going to Patna may not have any difficulty. I hope that they will consider my suggestion.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस कठिन समय में सभी रेल कर्मचारियों ने सरकार को पूर्ण सहयोग देने का संकल्प किया है और उन्होंने अपने सभी आन्दोलनों आदि को अब समाप्त कर दिया है। इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बरौनी क्षेत्र में मुअत्तिल हुए कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया जाये। इलाहाबाद डिवीजन के रेल ड्राइवरों ने भी मंत्री महोदय को यह आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना दुबारा नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और उन पर चल रहे सभी मामलों को वापिस ले लेंगे।

Shri M. C. Daga (Pali) : I have already submitted so many times that an under or over bridge should be constructed at Pali, Phalua and Rani. The Hon. Minister has already promised to get it done. But uptil now this has not been done. I hope this will be considered now.

श्री जी० बसुमतारी (कोकराझार) : श्रीमान बार-बार प्रार्थना करने पर भी बड़ी लाइन को बोंगाइगांव से गोहाटी तक नहीं बढ़ाया गया है। इसे गोहाटी तक बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री का कहना है 250 करोड़ रुपये के बिना नई लाइनों का काम हाथ में नहीं लिया जा सकता। पर मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि दक्षिण और गुजरात में एक-एक लाइन चालू की जा रही है। इसके लिए रुपया कहां से आ गया जबकि बोंगाइगांव से गोहाटी तक लाइन को बढ़ाने का कार्य स्थगित कर दिया गया है। इसे चौथी योजना में तुरन्त पूरा किया जाना चाहिए।

रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय केवल भराव न होने के कारण नहीं ले जाया जा रहा है। आसाम में सभी जगह भराव करना पड़ेगा। इसलिए यह बात वहां की किसी भी योजना के आड़े नहीं आनी चाहिए।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : रेलवे कर्मचारियों ने युद्ध कार्य में बिना किसी शर्त के सभी आवश्यक त्याग करने का आश्वासन दिया है।

श्री शंकर तिवारी (इटावा) : फर्रुखाबाद से इटावा होकर ग्वालियर के बीच जो एक डाकू ग्रस्त क्षेत्र है, एक रेलवे लाइन डाली जानी चाहिए। यह एक 65 मील का टुकड़ा है। इसी प्रकार ग्वालियर से भिन्ड तक–जो 22 मील का टुकड़ा है — एक रेलवे लाइन होनी चाहिए। क्योंकि यहां यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है। इटावा से ग्वालियर जाने के लिए पहले आगरा आना पड़ता है और फिर वहां से ग्वालियर जाना पड़ता है। इस प्रकार 76 मील के बजाय 145 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। दूसरे यह मांग बार-बार की गई है कि तूफान एक्सप्रैस भरतवाना में रुके। यदि यहां वह रुकने लगे तो बम्बई, दिल्ली और कानपुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा हो जाये। अन्यथा आजकल उन्हें 16 मील जाकर इटावा में गाड़ी पकड़नी पड़ती है। कानपुर स्टेशन पर भिखारियों की बड़ी भीड़ रहती है। इस समस्या का समाधान तुरन्त करना चाहिए।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara-Banki) : There should be proper distribution of railway lines in the whole country.

I would like to suggest that Assam mail, Kalka mail and Toofan Express trains, which are all going to Delhi via Mugalsarai and Allahabad, should at least one or two out of them—be diverted via Varanasi, Pratapgarh, Lucknow etc. .. I am not demanding a new train. I am simply asking for some changes in the route.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित बनाया जाना चाहिए। इन श्रमिकों में से कुछ श्रमिक तो 10-12 वर्ष से वहां पर काम कर रहे हैं पर उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बहुमत वाली यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है। उसको तुरन्त मान्यता दी जानी चाहिए। उस यूनियन के नेताओं को अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण आदि करके तंग किया जा रहा है और यूनियन को कठिनाई में डाला जा रहा है। इस मामले की जांच तुरन्त की जानी चाहिए।

हर वर्ष वर्षा ऋतु में हावड़ा के रेलवे यार्ड में पानी भर जाता है और वहां गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये।

बन्डेलिया में ऐशहैण्डलिंग डिपार्टमेंट में 200 कर्मचारी एक स्थायी किस्म का कार्य करते हैं पर वे अभी भी एक ठेकेदार के नीचे काम करते हैं। उन्हें नियमित विभाग में खपाया जाये।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : So far as Rajasthan is concerned it is a backward state in the matter of railway trains. Proper attention had not been paid in this regard, I will request the minister to put this in his mind.

I would like to request the railway ministry to introduce two discontinued shuttle trains, one between Loharu and Sikar and the other between Nizampur and Ringas. A direct coach from Ringas to Ahmedabad should be introduced. This will solve the difficulties of the workers.

The under construction broad gauge line from Dabla to Sinhara should be extended upto Churu.

There should be full discussion in the consultative committee on these matters. So far nothing is discussed there. Our railway problems should be solved. Therefore, I suggest that there should be more meetings of consultative committee and more time should be given to these demands in the House also.

Shri Pannalal Barupal (Ganga Nagar) : I would like to say something about my constituency Ganga Nagar. There are a number of Mandis there. We have demanded more wagons to clear out the stocks of cotton and foodgrains therefrom. The railway authorities should give more attention to it and supply more and more wagons to solve the problem there.

Secondly I would like to request that the casual labour working in railway workshop Bikaner should be made permanent. They are working there for ten or twelve years. They are going to be overage and would become ineligible for permanency, therefore, they should be made permanent. Arrangements should also be made to provide jobs to those who have received training from there.

The people of our area have to experience great difficulties in going to Jodhpur to pursue their cases in the high court. A suitable train service should be provided between Hanumangarh and Jodhpur.

There should be a direct train service on broad gauge line between Ganga Nagar and Delhi and one coach for Calcutta and Bombay each should be attached with the train. Haryana Express should be extended from Hissar to Hanumangarh.

There is a long outstanding demand for a halt station between Rang Mahal and Pilibanga. But the demand has not been acceded to. This halt station is necessary and should be opened immediately. We have also demanded halting stations between Jaitsar and Mohan Nagar, between Hanumangarh and Dholipal. There should be a halting station between Banhala and Budsinghwala.

I would like to say something about railway vendors. Their families are entirely dependent on them, therefore, after their death, licences should be given to a member of their families. It would help them to earn their livelihood.

There is no light in the trains running in border areas. The checking staff posted there cannot carryout their duties in the absence of light. This staff should not, therefore, be put on duties in such trains.

Dr. Kailas (Bombay South) : It was declared by Shri Hanumanthaiya after becoming the Railway Minister that proper attention would be paid to backward areas and also to those areas, for which surveys have already been completed. A survey for Konkan railway was made 12 years ago but it is a matter of regret that railway line upto Apta only has been constructed. Ratnagiri-Konkan line should be fully constructed before the next budget.

It is said that there is shortage of railway wagons. I find that the traders from Bombay, Bihar and Calcutta experience no difficulty in this regard whereas the Public undertakings of the country are suffering from the non-availability of wagons. These undertakings are experiencing great difficulties for the transport of raw material and finished goods. The minister should ensure adequate supply of wagon to public undertakings.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : I congratulate the hon. Minister for improving the punctuality of late running of trains.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards Janghai station. Where the required platform has been provided but the bridge has not been extended. The bridge should be extended so that the platform is put to use.

Secondly I would like to draw his attention towards the shortage of coal caused by non-availability of wagons at brick kilns in U. P. where lakhs of people are employed. This industry is experiencing great difficulties. Adequate number of wagons should be supplied for transportation of coal to these brick kilns.

Thirdly there is a train from Lucknow to Howrah. A halt station should be provided at Koyaripur.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Mr. Speaker, Sir, I come from a constituency which is a dacoit infested area, therefore a railway line from Sagar to Harpalpur through Chhatarpur and Tikamgarh should be provided to reduce the dacoit menace in that area.

Secondly, you seem to be more attentive towards the South which should not be. You should be impartial. At Makronia and many other stations where there are halts, there is no proper arrangement for issue of tickets because of the shortage of staff. The requisite staff should be provided for the purpose.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Speaker Sir, Bastar and Nimar are tribal areas in Madhya Pradesh. A railway line is urgently required for the development of the area. Action should be taken early regarding the construction of Jagdalpur rail line which is under consideration. Indore-Dohad railway line should also be constructed at an early date.

Time and again it is said that the Government is taking active steps to convert the metre gauge lines into broad gauge. But the Railway line from Ajmer to Khandwa has not been converted so far. If this rail line is converted into broad gauge it would not help in joining the three important Cantonment needs of Mhow, Neemuch and Nasirabad and provide adequate transport facilities but also cater to the needs of local people.

Guna Makshi railway line, which is under construction at present, should be completed at the earliest.

It would be facilitating to the people of the area if Ujjain-Agar narrow gauge line is converted into broad gauge.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I would like to congratulate the hon. Minister for the improvement made regarding late running of trains.

There is only one train between Jhansi and Manikpur : Fishes and vegetables in sufficient quantity are supplied to Howrah from Gwalior and Bundelkhand region The train is often missed and railway has to pay a good amount as compensation for these perishable vegetables. It would be better if Assam Mail to Howrah is diverted from Tundla so that it should run via Agra, Gwalior, Jhansi and Manikpur. If it is not considered possible an express train from Jhansi to Varanasi should be introduced immediately.

Nivari is an important trade centre on the Jhansi-Manikpur line. But there is no shed there and consequently foodgrains and other commodities are damaged. A shed should be provided there.

There should be a facility of waiting room for 3rd class passengers at Tabga Station.

Casual labourers at Jhansi junction have to suffer service break for 15 to 20 days even after completing six months service. Rail authorities do not want them to be regular because, if it happens they would be deprived of illegal gratifications which they get by putting these labourers again into service.

A new railway line should be constructed from Khajuraho to Banda via Chhatargarh and Lalitpur. A survey has already been made as far back as 1930 and the railway line has not been constructed so far.

Shri Ramchandra Vikal (Baghpat) : Mr. Speaker, Sir, Railway Minister has demanded funds to convert certain narrow gauge lines into broad gauge lines in these supplementary demands for grants. He has also demanded funds for construction of certain dismantled lines. But no provision has been made for constructing the often requested Shahdra-Saharanpur line which was dismantled against the wishes of the people of that area. The people of this area are facing tremendous difficulties after the line was dismantled. I would like to request that either the Central Government should be prepared to run it or some alternate arrangements on cooperative basis should be made to run this line. The Company which has dismantled this line has already applied to run it under certain conditions. This Company may be entrusted with this job if considered right.

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि सभी शेष व्यक्तियों को समय मिल गया है। मंत्री महोदय……

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य श्री यादव ने देर से आने वाली गाड़ियों का संदर्भ देते हुये यह चर्चा आरम्भ की……

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जे० एम० गौडा को समय देना भूल गया हूं, वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अकेले वह ही शेष रह गये हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : यह ठीक है कि पूर्व में गाड़ियां अभी ठीक समय पर नहीं आती जाती हैं। इसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। रेलवे में इस क्षेत्र में होने वाले अपराध इसके लिये उत्तरदायी हैं। जंजीर खींचने की घटनायें भी बहुत अधिक होती हैं। मैंने इसके आंकड़े दिये हैं। अतः इस क्षेत्र में गाड़ियों के देर से आने जाने के लिये केवल रेलवे को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इतना होते हुये भी पूर्वी क्षेत्र में गाड़ियों के ठीक समय पर आने जाने की दिशा में 20 प्रतिशत सुधार हुआ है। इस क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों के 95 प्रतिशत मामलों में रेलगाड़ियां ठीक समय पर आती जाती हैं। दुर्घटना आदि की बात इससे अलग है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि इस क्षेत्र में भी रेलगाड़ियां ठीक समय पर आ-जा सकती हैं परन्तु इसके लिये राज्य सरकार तथा सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक घटनायें रोकने की दिशा में प्रयत्न करना होगा।

जहां तक आसाम मेल का सम्बन्ध है मैं कल इसका उत्तर दे चुका हूं। मुझे अब पता चला है कि यह आसान कार्य नहीं है। इस विषय में उत्तर तथा दक्षिण बिहार के प्रतिनिधियों में आपस में मतभेद है। फिर भी मैं सन्तोषजनक स्थिति पैदा करने का प्रयत्न करूंगा।

इस विषय में सभी एक मत हैं तथा जो भी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनके राज्य में दूसरों की अपेक्षा कम सुविधायें हैं वह स्वयं भारत का चित्र देखकर इस सम्बन्ध में निष्पक्षरूप से निर्णय करें।

यह सच है कि माल डिब्बों के विषय में कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिये सर्वप्रथम हमें और माल डिब्बों का निर्माण करना होगा। माल डिब्बों के पुर्जों की चोरी को रोकने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से सख्त कायवाही करने के लिये कहा गया है। आशा है बिहार राज्य भी इस मामले में इसी प्रकार की कार्यवाही करेगा।

मैंने अनेक श्रमिक नेताओं से विचार-विमर्श किया है और मैं अन्य श्रमिक नेताओं से भी इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करूंगा और हमें आशा है कि हम मतभेदों को हल करने में समर्थ होंगे। हड़तालों और प्रदर्शनों को नहीं रोका जा सकता लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि कार्मिक संघ भ्रष्टाचार के मामले में हस्तक्षेप न करें। अनेक मामलों में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कार्मिक संघ के अन्तर्गत शरण लेना चाहते हैं।

अनेक सदस्यों ने नई गाड़ियां चलाने छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने और सीधी चलने वाली गाड़ियों को बन्द करने के बारे में सुझाव दिये हैं, किन्तु सीमित संसाधनों के कारण इस बारे में कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है। यदि सीधी चलने वाली गाड़ियों को बन्द कर दिया जाये तो कोई भी तेज गाड़ी नहीं चल सकती।

गाड़ियों में भिखारियों को रोकने के बारे में निदेश जारी कर दिये जायेंगे।

राज्यों से उपरि/निचले पुलों के निर्माण के बारे में जून तक सूचियां देने को कहा गया था लेकिन केवल एक या दो राज्यों ने इस बारे में अपने उत्तर भेजे हैं। इस बारे में उन्हें गत सप्ताह मैंने फिर पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2,3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री के० हनुमन्तैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् विधेयक—जारी

MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : हम मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्र) परिषद् विधेयक पर अब चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिम मनीपुर) : हम मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों या उसके किसी भाग को नागालैंड या किसी अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ मिलाने के प्रस्ताव का पूरी तरह विरोध

करते हैं। गत अनेक वर्षों से इन क्षेत्रों को मिलाने के लिये अवांछनीय नारे लगाये जा रहे हैं। वहां उग्रवादी कानून और व्यवस्था के मामले में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं।

मनीपुर राज्य के किसी भी भाग को अन्य पड़ौसी देश से मिलाने का मैं विरोध करूंगा।

प्रस्तुत किये गये विधेयक की पृष्ठ भूमि से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने वहां की स्थिति को समझ लिया है और वह अपने वचन से इन्कार नहीं करेगी।

एक बात स्पष्ट थी कि हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय सीमा को एक प्रशासन ने संरक्षण नहीं दिया। हमें अपने देश पर गर्व है जो हमेशा गम्भीर संकट में एक राष्ट्र बना रहा है। देश की विभिन्न भाषाएं और प्रशासनिक सीमाएं होने के बावजूद भी हमारे देश की संस्कृति और आध्यात्मिक विकास समान है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक कुशल प्रशासन में बाधक नहीं होगा। आशा है कि मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे कि राज्य सरकार के साथ जिला परिषदों को मिलाने के मामले में इस बात का पूरा ध्यान दिया जायेगा कि राज्य सरकार के कुशल अधिकारी राज्य के प्रशासन और जिला परिषदों का कुशलतापूर्वक मार्ग दर्शन करने तथा उन क्षेत्रों में अपेक्षित सद्भावना लाने के लिये जिला परिषदों में जायेंगे।

जनता के प्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होने चाहिये। इन व्यक्तियों को अपने अधिकारों का प्रयोग अपने-अपने क्षेत्रों में विकास के लिये अवश्य करना चाहिये।

हम यह नहीं चाहते कि आगामी वर्षों में सुरक्षा के ये उपाय मनीपुर अथवा देश के किसी भाग में जारी रहें। जब तक हम विकास के किसी विशेष स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक इन क्षेत्रों की कुछ न कुछ सुरक्षा करने की आवश्यकता है।

इस बारे में की गई सभी कार्यवाही का हमें समर्थन करना चाहिये।

इसी क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान ने हमारे कुछ युवकों को भड़काया था और उन्होंने हमारे कुछ युवकों को प्रशिक्षण भी दिया था। इन क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है और संचार के साधन बहुत कम हैं। इस बात का लाभ उठाकर हमारे पड़ौसी देशों ने हमारे युवकों को राष्ट्र विरोधी गतिविधिओं में प्रशिक्षण दिया है। यदि हम इनका विकेन्द्री-करण कर देते हैं और प्रशासन की गति में सुधार कर देते हैं तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार ला सकने में अवश्य समर्थ होंगे।

मनीपुर की प्रादेशिक परिषद् में हम कुशल अधिकारियों की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि यह घोषणा की गई है कि जो भी व्यक्ति परिषदों में आता है, उसकी सेवा विदेश सेवा के रूप में मानी जायेगी। इन जिला परिषदों के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अच्छे अधिकारियों को इन अविकसित क्षेत्रों में जाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये।

मनीपुर सुदूर पूर्व में पूर्वी सीमा पर स्थित है, अतः इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और पहाड़ियों से इस घाटी को पृथक नहीं किया जाना चाहिये। मूल रूप से हमारे यहां दो प्रकार के लोग नहीं हैं। जहां तक उनके रीति रिवाजों का सम्बन्ध है, इन जिला परिषदों को उनके रीति रिवाजों और अधिकारों को जोकि परम्परागत रूप में उन्हीं के हैं, रक्षा करने की शक्ति दी गई है।

ये आदिवासी अपने रीति रिवाजों की रक्षा करने के लिये बहुत भावुक हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध हजारों वर्षों से विश्व के अन्य देशों से नहीं रहा है। अत: यदि उनके रीति रिवाजों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा तो उनकी संस्कृति नष्ट हो जायेगी।

मनीपुर में छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर राजा तक सब ही व्यक्ति बुनकर हैं। यह परम्परा अभी तक जारी है और इसीलिये वहां बने कपड़े का मुकाबला मिल में बने कपड़े से आज भी किया जा सकता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर की जनसंख्या बहुत कम है और उसका क्षेत्र भी कम है, राज्य को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये और इसको अन्य पड़ौसी राज्यों से नहीं मिलाया जाना चाहिये और इसकी पृथकता को बनाये रखना चाहिये।

मैं उक्त विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित जिला परिषदें कुछ हद तक अपने उद्देश्य पूरा करेंगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र के विकास से निकट सम्बन्ध होना चाहिये।

मनीपुर की दस्तकारी देश में विख्यात है, लेकिन वहां के लोगों को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। कलकत्ता और आसाम के बड़े-बड़े व्यापारी वहां पहुंच गये हैं और वे उनको थोड़ी सी धनराशि देकर सभी चीजों को उनसे ले लेते हैं। इस प्रकार बाहर के लोगों ने उनका अब तक अधिकतम शोषण किया है। आशा है जिला परिषदों के गठन से यह सब बन्द हो जायेगा। सरकार को इस शोषण को रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

मनीपुर का विकास किया जाना चाहिये। जिला परिषदों का गठन किये जाने के बाद राज्य में कुछ कर और व्यवसाय कर लगाये जायेंगे। लेकिन क्या इससे इस क्षेत्र के विकास में वास्तव में सहायता मिलेगी ? सरकार का मनीपुर को आर्थिक सहायता देने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अत: मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि मनीपुर का विकास करने के लिये क्या कारगर उपाय किये गये हैं। बंगला देश के बन जाने से उसके समीप होने के कारण त्रिपुरा को तो कुछ राहत मिलेगी परन्तु वही सुविधायें मनीपुर को नहीं मिल पायेंगी क्योंकि दोनों के बीच परस्पर अन्तर बहुत है। अत: इस विधेयक के अन्तर्गत जिला परिषदों के गठन का समर्थन करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के आदिवासियों का शोषण रोकने तथा उनके द्वारा निर्मित सामान को उचित मूल्यों पर क्रय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

इस क्षेत्र में लघु उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिये। वहां चीन और पाकिस्तान का कुछ कुछ प्रभाव है जो चाहते हैं कि यह क्षेत्र भारत से छीन लिया जाये। परन्तु वहां के लोगों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान न देकर इस राज्य से पूरे राज्य का दर्जा पाने तक की प्रतीक्षा की है। मैं उनको

इसके लिये बधाई देता हूं। परन्तु अब हमें मनीपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय के लोगों को पूरी तरह सन्तुष्ट करना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये भले ही कुछ अन्य राज्यों को कष्ट सहना पड़े परन्तु इन सीमावर्ती राज्यों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और उनका क्षमतानुसार पूरा विकास किया जाना चाहिये ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर हमारी सीमाओं की पूरी तरह रक्षा कर सकें।

श्री पाओकाई हाओकिप (वाह्य मनीपुर) : यह विधेयक मनीपुर राज्य से सम्बन्धित उन दो विधेयकों में से एक है तथा साथ ही उन उपायों की शृंखला की एक कड़ी भी है जो इस क्षेत्र के आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये हैं। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मनीपुर के लोगों की निरन्तर प्रगति तथा विकास के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया हो। इस विधेयक में भी यही कहा गया है कि इसका अभिप्राय आदिवासी लोंगों को और अधिक विकासशील गतिविधियों में सम्मिलित करना है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है।

यह क्षेत्र अनेक कारणों से पिछड़ा हुआ रहा है। एक कारण यह था कि नागालैंड के लोग ही इन विकासशील गतिविधियों में भाग लेते रहे और इस कारण मनीपुर के आदिवासियों के मार्ग में बाधा बनी रही। दूसरे, इस राज्य को बहुत कम अधिकार प्राप्त रहे थे जिससे कि इस क्षेत्र के विकास में कठिनाई रही। परन्तु अब इसका विषय है कि मनीपुर के कई जिलों में विभक्त हो जाने पर वहां कुछ प्रगति हुई है।

यह विधेयक आदिवासियों से रीति-रिवाजों, संस्कृति तथा अन्य हितों की रक्षा के लिये बहुत महत्व रखता है। पहले भी सरकार इस क्षेत्र में विकास तथा प्रगति में बाधा डालने वाले समाज-विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाती रही है।

मनीपुर का अनेक जिलों में विभाजन इस क्षेत्र की प्रगति को तेज करने के लिये किया गया है। आज यह क्षेत्र पांच जिलों में विभाजित है जिनमें से चार जिले पहाड़ी क्षेत्र के हैं तथा एक घाटी क्षेत्र में है। यदि यह विभाजन और अधिक जिलों में हो जाये तो मेरे विचार से विकास और प्रगति की रफ्तार अधिक तेज हो सकेगी। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करें। जहां तक मनीपुर की अखण्डता का प्रश्न है, हम इस क्षेत्र की एक इंच भूमि भी अन्य किसी राज्य को नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे।

कुछ सदस्यों ने मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की कठिनाइयों का जिक्र किया और एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लोग बड़े प्रेम से मिल-जुलकर रहने के इच्छुक हैं। यदि इस विधेयक का यथोचित प्रयोग किया गया विकास तथा प्रगति के क्षेत्र में हम भी बाकी देश के साथ अवश्य चल सकेंगे।

कहा गया है कि इस विधेयक के अनेक उपबन्धों में सुधार की गुंजाइश है। सो, सुधार के लिये तो हमेशा ही स्थान रहता है और मुझे आशा है कि सरकार यथासमय इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी करती रहेगी।

व्यक्तिगत रूप में तथा साथ ही इस दल के सदस्य के रूप में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैंने गत 16 वर्षों में मनीपुर को 'सी' श्रेणी के दर्जे से संघ राज्य क्षेत्र और अब पूर्ण राज्य का दर्जा पाते देखा है। इस विधेयक में आदिवासियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था है और मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही मैं इस विधेयक की कतिपय कमियों को भी प्रकट करना चाहूंगा।

मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यत: नागा लोग रहते हैं और वे नागालैंड तथा बर्मा में भी हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह मांग रही है कि मनीपुर के कुछ क्षेत्र नागालैंड में मिला दिये जायें ताकि नागालैंड एक बड़ा राज्य बने और नागा लोग अपनी गृह भूमि को अपनी स्वेच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार शामिल कर सकें। मुझे इस मांग में कोई अनुचित बात दिखाई नहीं देती है। जब मेघालय और मिजोरम बनाये जा रहे हैं, इसी प्रकार यदि समूचे नागा क्षेत्रों को भी नागालैंड में मिला दिया जाये तो कोई बुरी बात नहीं है। इस संदर्भ में मनीपुर की अखण्डता को तोड़ने की कोई बात नजर नहीं आती है।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार जिला परिषदों का गठन आदिवासियों के हितों की रक्षा करने हेतु किया गया है। परन्तु अनुसूचित जातियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण दें।

उपाअध्यक्ष महोदय : यह विधेयक मनीपुर में जिला परिषदों के बारे में है। मंत्री महोदय को अनुसूचित जातियों आदि के बारे में उत्तर देने की जरूरत नहीं है। यह असम्बंधित प्रश्न है।

श्री पी० के० देव : जिला परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये। भूमि कटाव, वनरोपण तथा वनसम्पदा के अनाच्छादन के बहाने लोगों को बहुत पुरानी भूमि खेती की प्रथा से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि घाटी में भूमि कम पड़ती है तो पहाड़ी ढालों पर कृषि करने को अनुमति दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया जाये कि उनकी पुरानी परम्परागत प्रथा को रोका नहीं जायेगा।

जिला परिषदों में इस प्रकार किये गये नामांकन के म सवथा विरुद्ध हूं। जब लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है जिससे कि उन्हें उनके मामले देखने का हक दिया गया है तो उसके लिये उन्हें पर्याप्त शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिये।

अन्त में, मेरा मत है कि इन आदिवासी लोगों की संस्कृति, सामाजिक रीति-रिवाजों तथा उनकी रंगीन जिन्दगी की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार का ही दायित्व है। इस सम्बन्ध में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिये।

श्री ए० केवीचुसा (नागालैंड) : मनीपुर को राज्य का दर्जा प्राप्त होने पर मैं वहां के निवासियों को बधाई देता हूं। परन्तु नागाओं से बसे क्षेत्रों को मनीपुर से निकाल कर एक क्षेत्र में मिला देने की मांग भी कोई नई मांग नहीं है। लगभग 20 वर्ष से इस सम्बन्ध में आन्दोलन होते रहे

हैं। इस आन्दोलन के दौरान वर्ष 1949 में मणिपुर राईफल्स द्वारा तीन माओ नागाओं को गोली भी मार दी गई थी और अनेकों को जेल में भी डाल दिया गया था।

यदि कोई नागालैंड और मनीपुर जाकर देखे तो वह मनीपुरी तथा नागा लोगों के सांस्कृतिक भेद को देख कर दंग रह जायेगा। संभव है कि समय के बीतते यह अन्तर कुछ कम हो जाये परन्तु तब तक कुछ लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी अलग राज्य में भागीदार बनाना एक भूल होगी।

असम का उदाहरण लीजिये। पहले इस राज्य में पहाड़ी तथा मैदानी जिले थे परन्तु बाद में 1957 में काफी खून-खराबे के बाद इसमें से नागालैंड निकला और 1960 के 16-सूत्री करार के अधीन एक शर्त यह भी थी कि नागाओं से बसे प्रदेश को नागालैंड में मिलाया जाये। नागा लोगों की यह आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। वर्ष 1966 में मिजोरम के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया जिसके फलस्वरूप मेघालय बना और अब असम में से ही मिजोरम निकल आया है। क्या अब भी पिछले अनुभवों से लाभ उठाने का समय नहीं आया है।

नागा लोगों का आसाम के लोगों से कोई विरोध नहीं है। ये सम्बन्ध तो केवल तब खराब हुए, जब उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया।

मनीपुर का घाटी क्षेत्र बड़ा समृद्ध है जबकि नागाओं वाले क्षेत्र कमी वाले क्षेत्र हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र मनीपुर से निकाल लिये जाने पर मनीपुर को कोई हानि नहीं होती है बल्कि उन दोनों क्षेत्रों के लोगों के परस्पर सम्बन्ध अधिक मैत्रीपूर्ण हो जायेंगे। अतः सरकार गत अनुभवों से सबक लेकर यथासमय निर्णय करे और नागालैंड तथा मिजोरम में अनेक लोगों के अमूल्य जीवन को बचायें।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Manipur is situated in between the beautiful hilly columns and its outskirts touch the borders of several other countries. So, particuarly in the present Emergency in the country, it is our sacred duty to ensure very cordial relations and also a sense of complete security for the people of these eastern hilly regions.

This Bill provides for the setting up of District Councils to ensure rapid progress and development of the people of this area. As regards District Councils, I welcome the measure, but still I have got a few points to make.

Manipur is a backward State and the nominated members in the councils might create a monopoly for them there and they might, work for partisan ends. This would defeat the very purpose of this Bill.

Regarding the removal of the Chairman, there are two differents provisions in this Bill. According to one the Chairman can be removed by two third of the total votes whereas, under the second one the Administration would be able to remove him in case such a proposal is approved by more than half the members. I donot understand the real spirit behind it why this right is being given to the Administrator? It might be misused.

Also I donot understand the spirit behind the provision that there cannot be any proposal for one year to remove the Chairman. This is against the principle of democracy. It will be better if you remove such a clause otherwise this would create unnecessary disbelief in the Chairman. Thus it is not justifiable to deprive the Members of the legislature to become the member of the District Council. This restrction should also be removed.

Finally, I support the formation of District Councils and also welcome the full statehood for Manipur. But I also request that the points raised by me henceforth should also be looked into.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua): I welcome the decision of the Government to constitute such type of councils. The panchayats functioning in various parts of the country have not been able to deliver the goods. It is said that these councils are being constituted with a view to preserving the culture and language of the tribal people. I request the Home Minister to see that these Councils are free from the draw backs of the similar type of institutions in other states.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : भारत के उत्तर-पूर्वी भाग का पुनर्गठन करने के लिये किये जाने वाले उपायों की श्रृंखला में यह विधेयक सर्वप्रथम है। मणिपुर एक राज्य बन जायेगा इसी प्रकार त्रिपुरा और मेघालय भी राज्य बन जायेंगे। साथ साथ मिजोग्राम एक संघ राज्य बन जायेगा तथा नेफा जिसे अरुनांचल प्रदेश का नाम दिया गया है, वह भी एक संघ राज्य क्षेत्र बन जायेगा।

राज्य का दर्जा प्राप्त करने या संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोगों की जो आकांक्षायें हैं, उन पर विचार करने के साथ साथ सरकार उन क्षेत्रों के विकास और उनकी सुरक्षा की समस्याओं को नजरन्दाज नहीं कर सकती।

यह एक ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्य है तथा समय की पुकार है कि जिस प्रकार हमने समूच भारत में अनेकता में एकता पैदा की है, उसी प्रकार हमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी अनेकता में एकता पैदा करनी है। इन एककों में से प्रत्येक एकक में आदिवासी तथा अन्य लोगों के हितों तथा संस्कृति की रक्षा करने के साथ साथ हमें उनमें एकता उत्पन्न करनी है तथा उनमें मिल जुल कर रहने तथा कार्य करने की प्रवृति पैदा करनी है।

त्रिपुरा के लिये भो जिला परिषदों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। मैं मानता हूं कि वहां आदिवासी लोग रहते हैं और उन पर पांचवी सूची लागू रहेगी। अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार करने के लिये वहां एक आदिवासी सलाहकार परिषद् बनायी जा सकती है किन्तु क्योंकि वहां की आदिवासी जनसंख्या बिखरी हुई है, अतः मणिपुर में जो कुछ किया गया था, उसे वहां दोहराना कठिन होगा।

त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उत्थान सम्बन्धी सब मामलों में सलाह देने के लिये एक जनजाति परामर्शदात्री समिति बनाई जा सकती है। यह पांचवी अनुसूची का भाग है तथा पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है। परन्तु मणिपुर में जो व्यवस्था की गई है, वही व्यवस्था यहां करना कठिन है, क्योंकि यहां आदिम जातीय जनसंख्या अनेक स्थानों पर बिखरी हुई है। एक आपत्ति यह भी उठाई गई है कि नामनिर्देशन की पद्धति को इस लिये लागू किया जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन हमारा यह उद्देश्य नहीं है। नाम निर्देशन की व्यवस्था करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हो सकता है कि उन अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति की जनसंख्या की दृष्टि से कम है तथा अधिक जनसंख्या वाली आदिमजातियों के क्षेत्रों में रहते हैं, जिला परिषद् में निर्वाचित न हो पायें। जिलों की संख्या का भी उल्लेख किया गया है। हम 6 जिले बना रहे हैं। यह संख्या अधिक दिख सकती है परन्तु उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बड़े आदिमजातीय समुदाय के लिये एक जिला बनाया जाये ताकि उनकी उस जिले के साथ एकात्मकता

स्थापित की जा सके। परन्तु जिले के आकार तथा जनसंख्या और लोगों की महत्वाकांक्षाओं की संतुष्टि के बीच एक संतुलन स्थापित करना होगा। उदाहरण के तौर पर एक छोटे से क्षेत्र में जिसकी संख्या बहुत कम हो, हम 10 अथवा 20 जिले नहीं बना सकते। यह इन दोनों पहलुओं में संतुलन स्थापित करने का प्रयास है तथा मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री टोम्बी सिंह ने इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा गड़बड़ी पैदा करने के प्रयासों का उल्लेख किया है। सदन को विदित होगा कि चीन और पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र में क्या-क्या प्रयास किए गये हैं। परन्तु सदन को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि कभी कभी कुछ अस्थाई मत भेदों के अतिरिक्त इस क्षेत्र के निवासी पूर्णरूपेण देश के साथ हैं और उनकी भावनाएं देश की भावनाओं के ही अनुरूप हैं। मैं वहां जा चुका हूं और उनके प्रतिनिधियों से मिल चुका हूं। उन लोगों की देश भक्ति की भावना से पता लगता है कि वे अपने विकास के लिए ही नहीं अपितु सारे देश भर के विकास की भावना उनमें भरी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान अथवा चीन आदि कोई भी शत्रु देश में गड़बड़ी पैदा करने का कितना ही प्रयास करे पर उन्हें वहां निराशा ही मिलेगी।

श्री हाओकिप ने वे कुछ कारण बताए हैं जिनसे आदिमजातीय क्षेत्रों की प्रगति रुकी है, विशेषकर संघराज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को आदिमजातीय लोगों और पहाड़ी क्षेत्र समितियों आदि को पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई थीं जिससे कि वे प्रगति कर सकतीं। इस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है और इस के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन विधेयक पेश कर दिया गया है जिससे मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा।

नागा क्षेत्र की एकता के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। अतः मनीपुर के लोगों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि इस मामले को न उठाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में परिषदों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

. **उपाध्यक्ष महोदय** : सत्ताधारी दल के उपमुख्य सचेतक से सूचना मिली है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से कृषि मंत्री चीनी के बारे में आज अपना वक्तव्य नहीं देंगे। वह अपना वक्तव्य सोमवार 13 दिसम्बर, 1971 को देंगे।

मिट्टी के तेल की उपलब्धता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. AVAILABILITY OF KEROSENE OIL

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मिट्टी के तेल उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त सुधार के साथ साथ मई, 1970 में राज्य सरकारों को सूचित किया था कि राज्य वार आवंटन बन्द कर दिये गये हैं तथा तेल कम्पनियों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे मिट्टी के तेल की वास्तविक मांग, जो समय समय पर घटती-बढ़ती रहती है, के अनुसार इस उत्पाद की आवश्यकताएं पूरी मात्रा में पूर्ण हो जाएं। बाढ़ आ जाने आदि कारणों से रेल मार्ग में होने वाली

दरारों जैसी घटनाओं (जो हमारे नियंत्रण से बाहर रही हैं) से उत्पन्न हुई स्थानीय कमियों को छोड़कर इस स्थिति को निरन्तर बनाए रखना सम्भव रहा है।

2. यद्यपि बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण अन्य पदार्थों की भांति मिट्टी के तेल की मांग में भी अधिक वृद्धि हुई, किन्तु हम इस मांग को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने में ही समर्थ नहीं हुए, बल्कि इसके स्टाक बढ़ाने में भी उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस सम्बन्ध में इस समय ब्यौरों को बताना जन हित में नहीं होगा ; किन्तु मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे स्टाक को स्थिति पूर्णतया सन्तोष-जनक है।

3. शुक्रवार दिनांक 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को पाकिस्तान द्वारा सभी ओर से हमारे विरुद्ध किये गये आक्रमणों के पश्चात् तत्काल ही राज्य सरकारों को पुनः आश्वासन दिया गया था कि हमारे पास मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में हैं तथा जनता की आवश्यकता को इसके कारण कोई भय नहीं है। किन्तु अन्य उच्चतर अग्रता प्राप्त मांगों को सबसे पहले पूर्ण करने की आवश्यकता के होते हुए भी यदा कदा उत्पन्न होने वाली स्थानीय कमियों की सम्भावनाओं की अवहेलना नहीं की जा सकती। इसीलिए हम ने अधिकतम स्थानीय सतर्कता के लिए बल दिया तथा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में छूट दी कि वे समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में स्टाक की स्थिति के अनुसार मिट्टी के तेल के विवरण पर गहन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को जारी रखें अथवा वैकल्पिक रूप में इस पर राशन जैसा भी सम्भव हो, लागू करें। हमने ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को उचित मूल्य दर के बिक्री केन्द्रों आदि के माध्यम से पूरा करने एवं भारत रक्षा नियमावली के अन्तर्गत उन लोगों को, जो इसका स्टाक जमा करते हैं अथवा इसका अधिक मूल्य लेते हैं व इसका दुरुपयोग करते हैं, शीघ्र दण्ड देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

4. तब से मिट्टी के तेल के स्थानीय अभाव की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के तेल सहित अत्यावश्यक वस्तुओं को जमा करने की आम प्रवृति इन शिकायतों का कारण हो सकती है। वास्तविक उपभोक्ताओं की कठिनाई दूर करने के लिए, हमने राज्य सरकारों से अधिक से अधिक क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का राशन शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है। इस प्रयोजन के लिए मिट्टी का तेल स्थानीय रूप से उपलब्ध है और इसकी नियमित रूप से सप्लाई की जायेगी। दिल्ली प्रशासन ने राशन लागू कर भी दिया हैं। इसके अतिरिक्त, कई स्थानों में उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल की सीधे रूप से फुटकर बिक्री करने के लिये भारतीय तेल निगम ने विशेष रूप से 5 टैंक लारियों अलग से रख दी हैं। भारतीय तेल निगम को अन्य क्षेत्रों में भी जहां भी सम्भव हो, इस प्रकार की सहायता करने के निर्देश दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दामों की दुकानों द्वारा वितरण करने जैसे उपाय अपनाने का फिर से अनुरोध किया गया है। अन्तिम रूप से हमने भारतीय सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत यथासम्भव कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिये पुनः निर्देश दिये हैं जिसमें मिट्टी का तेल जमा करने, अधिक दाम लेने तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का, जहां हो सके, आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाना तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत किसा को प्रश्न करने की अनुमति नहीं है। यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसके लिये आप अलग से नोटिस दें।

जैसाकि पहले घोषित किया जा चुका है रक्षा मंत्री 1 बजकर 15 मिनट म० प० पर अपना वक्तव्य देंगे ।

अब हम खण्ड वार विचार करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मिट्टी के तेल का रक्षा सम्बन्धी मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है । लोगों को 6 घण्टे तक लाइन में खड़े होकर भी मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है । आप प्रत्येक सदस्य को बोलने का एक अवसर दे सकते हैं ।

———

मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषदें विधेयक—(जारी)

MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL (Contd,)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड वार विचार करेंगे । खण्ड 2 और 3 के लिये कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खण्ड 4

श्री दशरथ देव : (त्रिपुरा पूर्व) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पाओकाई हाओकिप (वाह्य मनीपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 13 और 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दशरथ देव : मेरा संशोधन बहुत साधारण है । मैं चाहता हूं कि विधेयक से समस्त नाम-निर्देशन सम्बन्धी खण्ड हटा दिया जाये, क्योंकि यदि आप लोकतंत्री संस्थानों का विकास चाहते हैं तो निर्वाचित निकाय में नामनिर्देशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । मैं मनोनीत करने की व्यवस्था का विरोध करता हूं क्योंकि इससे परिषद् में अवांछनीय तत्वों के मनोनीत किये जाने का खतरा है । त्रिपुरा के सम्बन्ध में मेरा ऐसा ही अनुभव है । उस समय भी मैंने मनोनीत करने की व्यवस्था का विरोध किया था । पर उस समय श्री पन्त ने कहा था कि ऐसे लोगों को ही मनोनीत किया जायेगा जिनका कोई प्रतिनिधि चुना नहीं जा सका है । पर ऐसा हुआ नहीं । हर बार एक ही चक्रवर्ती समुदाय की एक महिला सदस्य को मनोनीत किया गया । मनीपुरी समुदाय में से कांग्रेसी को ही मनोनीत किया गया और इस प्रकार कांग्रेस ने अपना बहुमत परिषद् में बनाया । इस व्यवस्था के इस प्रकार के दुरुपयोग के कारण ही मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं ।

श्री पाओकाई हाओकिप (वाह्य मनीपुर) : विधेयक के खण्ड 4 के अनुसार जिला परिषद् में 16 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह संख्या 18 तक बढ़ा दी जानी चाहिये। दूसरे संशोधन के अनुसार मनोनीत सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी जानी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्र शासित प्रदेश परिषद् विधेयक संसद् द्वारा 1956 में पास किया गया था। उस विधेयक सभा ने पूर्ण विचार करके उसमें संशोधन किया था। अतः इस व्यवस्था पर संसद द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया है। यदि हमारा अनुभव बताता है कि यह अच्छा रहा है। अत: अब इसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि श्री देव इसके विरोध में अपने तर्क को एक महिला को मनोनीत करने का रंग न दें।

श्री पाओकाई हाओकिप ने यह संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि मनोनीत सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी जाये और सदन में सदस्यों की संख्या 20 से 81 इस सम्बन्ध में मैंने देखा है। सभा की भावना भी इसके पक्ष में है। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 1 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 20, "sixteen" (सोलह) के स्थान पर "eighteen" (अठारह) प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 14 को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 21"

"Four" (चार) के स्थान पर "Two" (दो) प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 as amended, was added to the Bill

खंड 5 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 5 to 12 were added to the Bill

खंड 13

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

प्रशासक को परिषद का काल बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और पांच वर्ष की निश्चित अवधि के बाद चुनाव होने चाहियें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में यह सामान्य नियम है कि उनके कार्य-काल को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है । यह एक जिला परिषद है राज्य विधान सभा नहीं । हमें अपने हाथ इस सीमा तक नहीं बांधने चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर भी इसका कार्य-काल न बढ़ा सकें । अतः मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खंड 14 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 14 to 22 were added to the Bill

खंड 23

श्री दशरथ देव : मैं अपने संशोधन संख्या 3,4,5,6,7 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

यह एक निर्वाचन निकाय है और एक निर्वाचित निकाय में प्रथम सभापति का मनोनयन प्रशासक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए ? सदस्यों को स्वयं उसे चुनना चाहिये ।

सभापति को बहुमत के आधार पर अलग किये जाने का उपबन्ध होना चाहिये ।

विधेयक के अनुसार सभापति को 16 में से 11 सदस्यों का समर्थन न मिलने पर भी अलग

नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए दो तिहाई का बहुमत होना चाहिए। यह एक अजीब सी बात है। इसके लिये केवल बहुमत काफी होना चाहिए।

दो तिहाई के बजाये यदि संकल्प शुद्ध बहुमत से पारित होता है तो भी प्रशासक को सभापति को हटा देना चाहिये। फिर यह प्रतिबन्ध भी नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का संकल्प सभापति के चुनाव के एक वर्ष के अन्दर नहीं आना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सभापति के कार्य और वेतन का निर्धारण प्रशासक द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है। एक निर्वाचन निकाय के सम्बन्ध ऐसी व्यवस्था एकदम बेमानी है तथा इस सबका निर्धारण परिषद द्वारा किया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री देव के पहले संशोधन के सम्बन्ध में मैं भूतपूर्व गृह मंत्री के कथन को ही दोहराता हूं। उन्होंने बताया था कि परिषद के कार्य आरम्भ करने से ही बहुत से कार्यों को एकदम शुरू करना पड़ता है। अतः इसे द्रुतगति से पूरा करने के लिए एक व्यक्ति का मनोनीत किया जाना आवश्यक है तथा उसका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

जहां तक उनके दूसरे संशोधन का सम्बन्ध हैं मेरा कहना है कि विधेयक की गई व्यवस्था सभी म्युनिसिपल कानूनों में है तथा यह व्यवस्था इन निकायों में स्थायित्व लाने के लिए की गई है।

वेतन आदि तय करने के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जैसा मैंने कहा कुल मिलाकर 6 जिला परिषदें होंगी और सबका वेतन समान होना चाहिए। क्योंकि वे आपस में सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगी। अतः यह व्यवस्था की गई कि प्रशासक वेतन तय करेगा।

मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

संशोधन संख्या 3 से 8 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments No. 3 to 8 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 24 से 28

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 से 28 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 24 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 24 to 28 were added to the Bill

खण्ड 29

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

इस खण्ड में परिषद को जमीन आदि का आवंटन करने के सम्बन्ध में कुछ शक्तियां दी गई हैं । सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन का अधिग्रहण करने की शक्ति प्रशासक को दी जा सकती है पर आवास के प्रयोजन से खेती की तथा चराई की भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा हुआ तो कोई भी भूमि लेकर किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है । मेरे इस संशोधन को माना जाना चाहिए क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक संविधिक व्यवस्था है और इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिये । श्री दशरथ देव को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि पहाड़ी क्षेत्र समिति को भी भूमि के उपयोग का अधिकार है । इन सब बातों को ध्यान में रखना है । अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 12 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 29 was added to the Bill

खण्ड 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 30 and 31 were added to the Bill

खण्ड 32 (अधिकारी और कर्मचारी)

श्री दशरथ देव : मैं संशोधन संख्या 9 से 11 प्रस्तुत करता हूं ।

सरकार की इच्छा है कि कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रशासक द्वारा की जाये । यदि यह अधिकारी प्रशासक के प्रति ही उत्तरदायी होगा तब वह परिषद के अन्तर्गत किस प्रकार सुचारु रूप से काम कर सकता है और परिषद् के लिए उससे काम लेना अत्यन्त कठिन होगा । अतः मेरा सुझाव

है कि परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति परिषद द्वारा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो किसी भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को परिषद के साधारण बहुमत के आधार पर अपने पद से हटाया जाना चाहिए दो तिहाई बहुमत से नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य को पता होगा कि बहुत सी नगरपालिकाओं में कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रशासक द्वारा की जाती है और मैं समझता हूं कि यह एक स्वस्थ परम्परा है।

दो तिहाई बहुमत की बात यहां कही गई है पर यदि साधारण बहुमत भी है और प्रशासक इससे संतुष्ट हो तो भी कार्यकारी अधिकारी को हटाया जा सकता है।

संख्या 9,10 और11 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments No. 9, 10 and 11 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 32 was added to the Bill

खण्ड 33 से 53 खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 33 to 53, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक

ASIAN REFRACTORIES LIMITED (ACQUISTION OF UNDERTAKING) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि लौह तथा इस्पात उद्योग की आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिये उच्चतापसह के प्रदाय में वृद्धि के प्रयोजनार्थ एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक एशियन रिफ्रेक्टरीज को अनिवार्य रूप से अर्जन करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है ।

सब सदस्यों को पता ही है कि हमारे इस्पात कारखानों के उत्पादन में रिफ्रेक्टरियों का महत्व-पूर्ण स्थान है । यह एक प्रकार की ईटें होती हैं और धवन भट्टियों में प्रयोग की जाती हैं ।

अप्रैल, 1960 में एशियन रिफ्रेक्टरीज के हिस्सेदारों को 55 लाख रुपये की शेयर पूंजी से 24,000 बढ़िया किस्म की मिट्टी की ईटें बनाने के लिए एक रिफ्रेक्टरी संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस मिला । औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कुल 55 लाख रुपये के दो ऋण दिए गये । औद्योगिक वित्त निगम ने इस कम्पनी को सबसे पहले ऋण दिया था और इसे रहन रखा था । वर्ष 1966 में इस संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया । किन्तु दुर्भाग्यवश संयंत्र को हुई हानि के कारण यह कम्पनी कठिनाई में पड़ गई, मैं समझता हूं कि प्रबन्धकों की अयोग्यता के कारण ऐसा हुआ था । कम्पनी ऋण का भुगतान नहीं कर सकी । मई, 1968 में इसने उत्पादन करना बन्द कर दिया । मार्च, 1968 में कम्पनी के अप्रतिभू लेनदारों ने इसे बन्द करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था । मार्च, 1969 में औद्योगिक वित्त निगम ने बंधित परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया । 19 मार्च, 1969 को रिसीवर नियुक्त किए गये । न्यायालय ने संयंत्र को नीलाम करने के लिए आदेश दिए और बिड़ला समूह की एक संस्था ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स ने 78 लाख रुपये की बोली दी । 16 दिसम्बर, 1970 को न्यायालय के आदेश से यह बोली स्वीकार की गई । किन्तु जब ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो इस्पात विभाग ने निर्णय किया कि यदि हम अपने इस्पात समूह के अन्दर ही वर्तमान रिफ्रेक्टरीज कम्पनी अर्थात एशियन रिफ्रेक्टरीज को अपने हाथ में ले लें तो अच्छा होगा । बोकारो इस्पात कारखाना एशियन रिफ्रेक्टरीज से लगभग 5 मील दूर है । एशियन रिफ्रेक्टरीज कम्पनी के उत्पादन की बोकारो इस्पात कारखाने में ही पूरी तरह खपत हो जायेगी ।

बोकारो इस्पात कारखाने की मूल योजना केवल 4000 मीटरी टन रिफ्रेक्टरी का आयात करने की थी । परन्तु दुर्भाग्यवश देश में बनी रिफ्रेक्टरी घटिया किस्म की होने के कारण हमें 7,0000 मीटरी टन रिफ्रेक्टरी आयात करनी पड़ी । भिलाई कारखाने को भी 1970 में लगभग 50,000 मीटरी टन 1971 में 22,000 मीटरी टन रिफ्रेक्टरी आयात करनी पड़ी । अतः इस तथ्य के होने पर भी कि हम भिलाई में सरकारी क्षेत्र में 1,00,000 मीटरी टन रिफ्रेक्टरी की क्षमता वाले एक यूनिट की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं, जो 1975 में उत्पादन आरम्भ कर देगा । हमें बोकारो इस्पात कारखाने की सहायता के लिए एशियन रिफ्रेक्टरीज को अपने हाथों में लेना पड़ा । अतः इस संयंत्र को अपने अधिकार में लेने का यही वास्तविक उद्देश्य था ।

अब हमें आशा है कि इसमें लगभग एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी निवेश करने के पश्चात हमें लगभग 36,000 मीटरी टन रिफ्रेक्टरी प्राप्त हो सकेगी । इसमें अत्यन्त आधुनिक और बढ़िया किस्म के उपकरण लगे हुए हैं । कच्ची सामग्री लगभग उपलब्ध ही है । इसलिए हमारे विचार में यह देश के लिए बहुत अच्छा सौदा रहेगा ।

हमें इसमें लगभग 81 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा । यह रुपया औद्योगिक वित्त निगम के ही पास जायेगा, अर्थात सरकारी निगम के ही पास जायेगा । सरकार ने एशियन रिफ्रैक्टरीज का प्रबन्ध करने के लिए बोकारो स्टील लिमिटेड को नियुक्त किया है । हमें आशा है कि इस कारखाने को लगभग 6 महीने के अन्दर चालू करने के लिए हमें 81 लाख रुपये के मूल निवेश के अतिरिक्त 1.4 करोड़ रुपये और लगाने पड़ेंगे । इससे हम राष्ट्र का यथेष्ट मात्रा में धन बचा सकेंगे ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु अन्य रिफ्रैक्टरियों को जो घाटे में चल रही हैं क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लिया जाता । वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है । इन कर्मचारियों के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

सबसे मुख्य बात तो यह है कि राज्यों द्वारा नियंत्रित ऐसी कम्पनियों में लाभ होना चाहिए । इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव बहुत ही कटु रहा है । इसलिए यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि एशियन रिफ्रैक्टरी को उचित रूप से और लाभकारी ढंग से चलाया जाए और इस बारे में इसे एक उदाहरण बनाया जाना चाहिए ।

सरकार को यह देखना चाहिए कि राज्यों द्वारा नियंत्रित रिफ्रैक्टरी चालू कर राष्ट्र की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं । और ऐसे कारखानें आत्म-निर्भर बनें और उद्योग को चालू रखने के लिए किसी प्रकार के बाहरी साधनों पर निर्भर न रहें ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I support this Bill. But our past experience in this connection has been very bitter that whenever Government takes over any private institution, they are dominated by bureaucracy and the workers or employees are not given their due right of representation in the management of such institutions. The compensation which is paid to the owners while taking over such institution defeat the purpose for which they are acquired. We quite agree that the jurisdiction of state owned sector should be extended by taking over private institutions, but its purpose remains defeated.

The Government should catagorically state the need of giving compensation to the owners of the institution when they are acquired. Secondly it should also be made clear whether there will be participation of the representatives of the employees in the management of the institutions acquired or proposed to be acquired by the Government. The bureaucracy should be weededout from these state owned institutions. The Government should also ensure that the employees working in that company shall not be retrenched and it make profit.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । सरकार की यह नीति तो बहुत अच्छी है कि ऐसे कारखानों आदि का राष्ट्रीयकरण कर अपने अधिकार में लेकर सरकारी क्षेत्र में चलाया जाए । परन्तु खेद का विषय है कि सरकारी क्षेत्र में चलने वाले अधिकांश कारखानें घाटे में चल रहे हैं ।

इस रिफ्रैक्टरी को बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव युक्ति-संगत नहीं है । सरकार को पता होगा कि गत सप्ताह में बोकारो इस्पात कारखाने में भारत तथा रूस में निर्मित 6000 मीटरी टन रिफ्रैक्टरी रहस्यमय आग में जलकर नष्ट हो गई थी । इससे लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ । इस काण्ड की जांच करने के लिए एक संसदीय जांच समिति अविलम्ब गठित की जानी चाहिए । और दोषी पाये गये अधिकारियों को नौकरी से निकाल देना

चाहिए । मैं समझता हूं कि यह सुनियोजित तोड़ फोड़ की कार्यवाही है । यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चलती रहीं तो बोकारो इस्पात कारखाना कभी समय पर पूरा नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

STATEMENT BY DEFENCE MINISTER ON LATEST POSITION WITH REGARD TO PAKISTANI AGGRESSION ON INDIA

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पाकिस्तान द्वारा हम पर थोपे गये युद्ध के बारे में मेरा यह तीसरा वक्तव्य है । मैं आज आप को और सदन को यह बताने की स्थिति में हूं कि पाकिस्तान अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है जो उसने हमारे हवाई अड्डों और सेनाओं पर 3 दिसम्बर की शाम को पूर्व-नियोजित आक्रमण करते समय बनाये थे ।

उस शाम पाकिस्तान ने बंगला देश के लोगों के साथ हो रहे युद्ध को भारत के साथ युद्ध में परिवर्तित कर दिया । हमारी सेनाएं अपनी अग्रिम रक्षा पक्तियों से तीन ओर से बंगला देश में घुस गईं और मुक्ति वाहिनी से सम्बन्ध स्थापित कर लिया गया है । इसके फलस्वरूप बंगला देश का बहुत अधिक क्षेत्र आक्रान्ता सेना से मुक्त करा लिया गया है । जैसोर, सिल्हट और कोमिल्ला पर अधिकार पहले ही कर लिया गया है । दिनाजपुर और रंगपुर पर कब्जा होने ही वाला है । पाकिस्तानी सेनाएं बड़ी घबराहट और निराशा के साथ अपने सुदृढ़ मोर्चों से पीछे हट रही हैं । शेष सैनिकों को पश्चिम में बरिसाल और पूर्व में नारायणगंज में इकट्ठा होने का आदेश दिया गया है । हमारी सेनाएं पद्मा, ब्रहमपुत्र और मेघना के निकट हैं । थल सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तानी सैनिकों को पहले ही चेतावनी दी है कि वे हमारी सेनाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दें क्योंकि उनके बचने के जल, थल और हवाई सभी मार्ग बन्द कर दिए गये हैं । बंगला देश में हमारी पूर्वी वायु कमान द्वारा पाकिस्तानी वायु सेना का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है । हमारे पूर्वी बेड़े ने बंगला देश के सभी पत्तनों के मार्गों पर अपना पूरा अधिकार कर लिया है । बंगला देश के लोगों को अब राहत मिली है और वे हमारी सेना का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं ।

जम्मू और काश्मीर क्षेत्र और पंजाब के क्षेत्र पर हमारा उद्देश्य अभी तक अपनी पावन भूमि पर युद्ध को रोकना और हमारी सुरक्षा को खतरा बनने वाली पाकिस्तानी चौकियों को समाप्त करने का ही है । पूंछ क्षेत्र में शत्रुओं ने मोर्चा बनाने के लिए बार-बार प्रयास किया, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है । दूसरी ओर हमारी सेना ने कारगिल क्षेत्र में चार महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा कर लिया है । शत्रु उरी और तंगधर क्षेत्रों में हमारी चौकियों पर लगातार हमला कर रहा है । शत्रु द्वारा तोड़ फोड़ करने की कार्यवाही के लिए जासूस भेजने के प्रयत्न भी असफल कर दिए गये हैं ।

पाकिस्तान ने छम्ब के क्षेत्रों में हमारी चौकियों पर बहुत बड़ा आक्रमण किया है । मैं सदन को पहले ही बता चुका हूं कि इस क्षेत्र की कठिनाइयों के बावजूद मन्नवर तवी नदी के पश्चिम में हमारी सेना 72 घन्टे तक अपनी चौकियों पर बड़ी वीरता के साथ डटी रही । अभी परसों ही हमारी

सेना इस नदी के पूर्व में अपने मुख्य बचाव ठिकाने पर आ गई थी। हमारे ठिकानों पर पाकिस्तान के नये आक्रमणों को विफल कर दिया गया है और शत्रु को भारी हानि उठानी पड़ी हैं। साम्बा क्षेत्र में सीमा के उस पार और शंकरगढ़ की ओर हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पंजाब क्षेत्र में गत 48 घन्टे से कोई लड़ाई नहीं हो रही है।

माननीय सदस्यों को पता ही है कि जैसलमेर क्षेत्र में रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले पाकिस्तानी बख्तरबन्द दस्ते बिल्कुल नष्ट कर दिये गये हैं। बाड़मेर क्षेत्र में हमारी सेनाएं और आगे बढ़ी हैं। हमारे सैनिक नयाचोर की रक्षा के लिये डटे हुए हैं। सैनिक इन्जीनियरों ने गदरा रोड के आगे 6 मील तक रेलवे लाइन बिछा दी है और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान की दो रेल लाइनों को मिलाकर एक कर दिया है। अग्रिम मोर्चों पर हमारे सैनिकों को इस रेलवे लाइन से बराबर कुमक पहुंच रही है।

बहुत घमासान युद्ध हुआ है लेकिन टैंकों की भारी भिड़न्त नहीं हुई है। फिर भी पाकिस्तान के 109 टैंक नष्ट कर दिये गये हैं और 9 टैंकों को चालू हालत में अपने कब्जे में कर लिया गया है। शत्रु की युद्ध सामग्री बहुत भारी संख्या में हमारे हाथ लगी है। हमारे अब तक केवल 49 टैंक नष्ट हुए हैं।

मेरे 7 दिसम्बर के वक्तव्य के बाद हमें यह सूचना मिली है कि अमरीका में निर्मित पाकिस्तान की सबसे बड़ी पनडुब्बी 'गाजी' को 3/4 दिसम्बर की रात को विशाखापत्तनम के निकट डुबाकर नष्ट कर दिया गया हैं। इसकी सूचना अब बाद में इसलिये दी गई है कि हमारे पास इस पनडुब्बी के नष्ट किये जाने के प्रमाण हमें कल ही मिले हैं। पानी पर-तैरते हुए पकड़े गये कागजातों और नाविकों की जाकेटों से पता लगा कि ये 'गाजी' पनडुब्बी थी।

अब तक कुल मिलाकर पाकिस्तान के 3 युद्धपोत, 9 गन बोट और 2 पनडुब्बियां नष्ट की गई हैं। हमारी नौसेना को कोई क्षति नहीं हुई है।

जहां तक हवाई युद्ध का सम्बन्ध है, पाकिस्तानी वायु सेना गत दो दिनों से हमारे हवाई अड्डों तथा प्रतिष्ठानों पर दिन में आक्रमण करने से बहुत कतरा रही है। उन्होंने रात्रि में ही हमारे कुछ हवाई अड्डों पर हमले किये हैं। किन्तु हमारे हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है।

दूसरी ओर हमारे लड़ाकू विमान पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में शत्रु के हवाई अड्डों, प्रतिष्ठानों, मार्शलिंग यार्डों, सेना के केन्द्रों और उनकी संचार व्यवस्थाओं पर हमले करते रहे हैं। हमारी वायु सेना के विमानों ने पाकिस्तान को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है।

पाकिस्तानी वायु सेना के अब तक 73 विमान नष्ट हुए हैं, जबकि हमारे केवल 31 विमान नष्ट हुए हैं।

पाकिस्तानी वायु सेना का उद्देश्य असैनिक ठिकानों पर गोलाबारी करना ही है। हमारी सेना को कड़े आदेश हैं कि वे केवल सैनिक ठिकानों पर बम गिरायें, असैनिक जनता पर नहीं।

अतः मैं भारत के लोगों की ओर से अपनी सेना की उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिये प्रशंसा करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1971/19 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, December 10, 1971/Agrahayana 19, 1893 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—26-1-72—490

P.L.S. 48. IX. 20. 71 (N)
490

© 1971 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1971 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND
CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND
PRINTED BY THE MANAGER, TEJ KUMAR PRESS (P) LTD., LUCKNOW.